रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 22, 1990/ज्येष्ठ 1, 1912
No. 270] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 22, 1990/JYAISTHA 1, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 22 मई, 1990

का.आ. 399(अ):—"दल खालसा" नामक संगठन—

(1) जिसने एक पूर्ण स्वायत्त "खालसा राज्य" की स्थापना करना अपना एक मुख्य उद्देश्य घोषित किया है और अपने उद्देश्य के अनुसरण में अपने क्रियाकलापों से भारत की राज्यक्षेत्रीय अखंडता से विलग होने और उसे विभाजित करने का उपदेश दे रहा है ;

(2) जिसके पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने खालिस्तान के लिए लड़ने वाले सिक्ख लड़ाकू समूहों के मध्य एकता की आवश्यकता पर बल देकर "खोलिस्तान" के बनाए जाने का समर्थन किया है, विदेशी समाचारपत्रों और गुरुद्वारा मंठों से खालिस्तान असमर्थक प्रचार को हटाया है और भारत सरकार से कोई बातचीत न करने के लिए धमकियां दी हैं,

(3) जिसने पुलिस अधिकारियों और उनके मुखबिरों को मारने के लिए खालिस्तान-समर्थक सिक्ख लड़ाकू समूहों की एक कार्रवाई समिति गठित की है;

(4) जिसके कार्यकर्ता प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं "जिसमें—भारत खालिस्तान छोड़ो;" जैसे नारे लगाए गए थे, पंजाब में खालिस्तान के लिए लड़ने वाले लड़ाकू सिक्खों को और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सभाएं आयोजित की गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त कारणों से दल खालसा एक विधि विरुद्ध संगठन है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि दल खालसा के क्रियाकलापों के कारण दल खालसा को तात्कालिक प्रभाव से विधिविरुद्ध घोषित करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, दल खालसा को एक विधि विरुद्ध संगठन घोषित करती है और उस धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना किसी ऐसे आदेश के अध्यधीन रहते हुए, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाए, राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा सं. 1/17017/29/89-आई एस (डी-7)]

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATIONS

New Delhi, thte 22nd May, 1990

S.O. 399 399 (E).—Whereas the organisation known as the 'Dal Khalsa'—

(i) which had declared as its main objective the establishment of a complete autonomous 'Khalsa State' and in pursuance of its objective has been preaching secession and disruption of the territorial integrity of India through its activities;

(ii) whose office bearers and activists have extended support to the creation of 'Khalistan' by stressing the need for unity between Sikh militant groups fighting for Khalistan, stepping up pro-Khalistan propaganda through foreign press and Gurdwara platforms and warning against negotiations with the Government of India ;

(iii) which formed an Action Committee of the pro-Khalistan Sikh militant groups to kill police officers and their informers ;

(iv) whose activists have been holding demonstrations in which slogans like 'India quit Khalistan' were raised, holding meetings for providing more financial aid to the Sikh militants fighting for Khalistan in Punjab ;

And whereas the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the Dal Khalsa is an unlawful association ·

And whereas the Central Government is further of the opinion that because of the activities of the Dal Khalsa, it is necessary to declare the Dal Khalsa to be unlawful with immediate effect ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of he Unlawful Activties (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Dal Khalsa to be an unlawful association and directs, in excercise of the powers conferred by the proviso to subsection (3) of that section that this Notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. I/17017/29/89-IS (D. VII)]

का. आ. 400 (अ):—"नेशनल काउंसिल आफ खालिस्तान" नामक संगठन, जिसे इसमें इसके पश्चात् "काउंसिल" कहा गया है ;

(i) जिसने अपने सैक्रेटरी जनरल श्री हरबीर सिंह संधु की घोषणा से अपने उद्देश्य एक स्वायत्त पृथक खालिस्तान सिक्ख राज्य की स्थापना की उद्घोषणा की थी, अलगाववादी क्रियाकलापों को प्रोत्साहन दे रही है ;

(ii) जिसका प्रैसिडेंट डा. जगजीत सिंह चौहान विदेशी समाचार पत्रों के माध्यम से खालिस्तान के संविचार को फैला रहा है ;

(iii) जिसके निर्वासित रिपब्लिक आफ खालिस्तान सरकार के कार्यवाहक प्रैसिडेंट ने यह दावा किया है कि भारतीय ध्वजों को गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 1989) को यू. के. के सभी गुरुद्वारों में जलाया गया था ;

(iv) जिसके विदेशों में बसे कार्यकर्ता और पदाधिकारी जलूसों के दौरान खालिस्तान-समर्थक और भारत-विरोधी नारे लगा रहे हैं, पंजाब में खालिस्तान के लिए लड़ने वाले लड़ाकू सिक्खों की सहायता के लिए धन इकट्ठा कर रहे है ;

(v) जिसके निर्वासित खालिस्तान सरकार के कार्यवाहक प्रेसिडेंट ने 30 जनवरी, 198• को यू. के. में भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री को खालिस्तान के चिन्ह के साथ निर्वासित खालिस्तान सरकार के पत्र-पैड पर एक खुला पत्र भेजा जिसमें खालिस्तान के भारत के कब्जे को तुरंत खाली करने के लिए भारत सरकार से आह्वान किया था और जिसका प्राइम मिनिस्टर सिक्खों की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए विश्व समुदाय से नैतिक और धन संबंधी सहायता का आह्वान कर रहा है

(vi) जिसके पदाधिकारी खालिस्तान की मांग को दोहराते रहे हैं और जिन्होंने आयोजित कंवेन्शन के दौरान पंजाब में लड़ाकू सिक्खों के परिवारों को धन दिए जाने की अपील की है ;

(vii) जिसके संयुक्त राज्य स्थित काउंसिल आफ "खालिस्तान", जो संयुक्त राज्य अमरीका में नेशनल काउंसिल आफ खालिस्तान की एक शाखा है, का प्रेसिडेंट भारत में ध्वंसक साहित्य/सामग्री भेज रहा है, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ यह दावा किया गया है कि खालिस्तान को क्योंकि भारत से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है, इसलिए इसको मान्यता मिलना केवल कुछ समय की ही बात रह गई है, इस समय वर्तमान पंजाब एक दखलकृत राज्यक्षेत्र है और यह कि दोनों

सरकारों के बीच सीमाओं को सिक्ख राष्ट्र के साथ बातचीत के जरिए उपदर्शित किया जाना चाहिए ।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त कारणों से परिषद् एक विधिविरुद्ध संगठन है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह और राय है कि परिषद् के प्रेजिडेंट और अन्य कार्यकर्ताओं के वार्तालाप, कथनों, लेखनों और अन्य क्रियाकलापों के कारण परिषद् को तात्कालिक प्रभाव से विधिविरुद्ध घोषित करना आवश्यक है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नेशनल काउंसिल आफ खालिस्तान को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है और इस धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, किसी ऐसे आदेश के अध्यधीन रहते हुए, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाए, राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 1/17017/29/89-आई एस (डी-7)]

अशोक भाटिया, संयुक्त सचिव

S.O. 400 (E).—Whereas the organisation known as the 'National Council of Khalistan' hereinafter referred to as the 'Council'—

(i) which had through the declaration of Shri Balbir Singh Sandhu, its Secretary General, proclaimed its objective the establishment of an autonomous seprate Sikh State of 'Khalistan' has been encouraging secessionist activities ;

(ii) whose President Dr. Jagjit Singh Chauhan has been spreading the concept of 'Khalistan' through foreign press ;

(iii) whose acting President of the Government-in-exile of the 'Republic of Khalistan' claimed that Indian flags were burnt in all Gurdwaras of the United Kingdom on Republic Day (26th January, 1989) ;

(iv) whose activities and office bearers abroad have been raising pro-'Khalistan' and anti-India slogans during processions, collecting funds in the aid of Sikh militants fighting for 'Khalistan' in Punjab ;

(v) whose acting President of the 'Khalistan' Government-in-exile sent an open letter on 30th January, 1989 to the then Prime Minister of India from the United Kingdom on the letter pad form of the 'Khalistan' Goverment-in-exile with 'Khalistan' insignia urging the Indian Government to vacate the Indian occupation of 'Khalistan' without further delay and whose Prime Minister has been calling for moral and material support from the world communities to the Sikh war of independence ;

(vi) whose office bearers have been reiterating the demand for Khalistan, appealing for money to be given to the families of Sikh militants in Punjab during convention organised by them ;

(vii) whose President of the United States based Council of 'Khalistan', a branch of the National Council of Khalistan in the United States of America has been sending to India subversive literature/material in which, among other things, it has been claimed that 'Khalistan' has since been declared independent from India, its recognition is only a matter of time, at present Punjab is an occupied territory and that the boundaries between the two Governments should be marked through negotiations with Sikh Nation ;

And whereas the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the Council is an unlawful association ;

And whereas the Central Government is further of the opinion that because of the talks, utterances, writings and other activities of the President and other activists of the Council, it is necessary to declare the Council to be unlawful with immediate effect ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Uulawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the National Council of Khalistan to be an unlawful association and directs in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section that this Notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/17017/29/89-IS (D. VII)]

ASHOK BHATIA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1990